न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

2020/00379 बोधू बनाम रामबाबू

टी.आई.126/2020

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	12/09/23	2सी3 / प्रार्थित रिपोर्ट सही नहीं करार दी गई दिनांक 23/10/23 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	23/10/23	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पी.ओ. साहब के अन्य [illegible] कन्फो[illegible] न्यायिक [illegible] कारण [illegible] जा सकी। पत्रावली [illegible] 04/12/23 को प्रस्तुत हो।
	04/12/23	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08/01/24 को पेश हो।
	08/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/02/24 को पेश हो।
	15/2/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक बार-बार आवाज लगवाई गई। बार-बार आवाज लगाने के उपरान्त भी प्रार्थी या अधिवक्ता अनुपस्थित रहा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकृति की श्रेणी में रोजिस किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उसे नम्बर से कम हो। किया कार्यवाही समाप्त की।

उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)